

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर



जबलपुर, दिनांक 18/5/2017

क्रमांक/अका./2017/828

प्रेषक:-
कुलसचिव,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर
प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त संबद्ध शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय
जिला - जबलपुर, मंडला, कटनी, डिण्डोरी,
नरसिंहपुर, बालाघाट, सिवनी एवं छिंदवाडा ।

विषय:- वाणिज्य संकाय के आचार्यों की जानकारी प्रदान करने बाबद्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयांतर्गत पत्र के संबंध में लेख है कि समस्त शासकीय महाविद्यालयों हेतु संलग्न प्रपत्र-1 तथा अशासकीय महाविद्यालयों हेतु संलग्न प्रपत्र-2 में आपके महाविद्यालय में कार्यरत आचार्यों(प्रोफेसर) की अद्यतन वरिष्ठता सूची इस कार्यालय को पत्र प्राप्ती से 07 दिवस में भिजवाने का कष्ट करें। साथ ही यह भी जानकारी प्रदान करें, कि संलग्न प्रपत्र में वाणिज्य आचार्यों के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच या न्यायालीन प्रकरण लंबित तो नहीं है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

कुलसचिव,

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 18/5/2017

क्रमांक/अका./2017/828 "अ"

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रा0दु0वि0वि0, जबलपुर ।
2. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर की ओर वि0वि0 की बेबसाइट में अपलोड हेतु।

अनुभाग अधिकारी(अकादमिक)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर

शासकीय महाविद्यालयों में आचार्यों की जानकारी बाबद्।

महाविद्यालय का नाम:-.....

क्रं.	महाविद्यालयीन आचार्यों (प्रोफेसर) का नाम	पद	महाविद्यालयीन आचार्य (प्रोफेसर) के पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	शासन स्तर पर जारी अंतिम वरिष्ठता सूची का क्रमांक
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

अशासकीय महाविद्यालयों में कॉलेज कोड 28 के तहत तथा
अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में पदस्थ आचार्यों की जानकारी
महाविद्यालय का नाम:-.....

क्रं.	महाविद्यालयीन आचार्यों(प्रोफेसर) का नाम	पद	महाविद्यालयीन आचार्य(प्रोफेसर) के पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	महाविद्यालय की शासी निकाय का प्रोफेसर पद पर अनुमोदन/अनुदान प्राप्त महाविद्यालय के लिए म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्र..... दिनांक.....
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				